भारतीय संविधान के अनुच्छेद–370 के अन्तर्गत जम्मू–कश्मीर राज्य की स्थिति व कश्मीर समस्या

नाम– रेखा यादव
असिस्टेन्ट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान)
वीर बहादुर सिंह महिला महाविद्यालय
लखनऊ।

संक्षेपिका–

जम्मू कश्मीर, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त से ही विवादित रहा है। 1948 में जम्मू कश्मीर पर पाक समर्थित कबायली आक्रमण के फलस्वरूप महाराज हरि सिंह द्वारा भारत के साथ विलय संधि की गई व कश्मीर को धारा–370 के अन्तर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया फलतः इस राज्य को अन्य राज्यों की अपेक्षा कुछ विशेषाधिकार प्रदान किये गए। पं0 नेहरू धारा–370 के अन्तर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देकर पाक व सम्पूर्ण विश्व के समक्ष यह प्रदर्शित करना चाहते हैं द्विराष्ट्र का सिद्धान्त गलत था व विशेष उन्मुक्तियॉ प्राप्त कर पाक का हिस्सा बने मुस्लिम बहुल राज्य भी भारतीय संघ का एक भाग बनकर रह सकते थे परन्तु उनकी यह धारणा निर्मूल सिद्ध हुई। कालान्तर में धारा–370 के अन्तर्गत प्रदत्त इन उन्मुक्तियों का कश्मीर के नेताओं द्वारा अनुचित लाभ उठाया गया जिसने घाटी में अशांति, हिंसा व अलगाववादी नीतियों को बढ़ावा दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि कश्मीर समस्या व आतंकवाद तब तक विद्यमान रहेगा, जब तक कठोर फैसला लेते हुए विशेष राज्य का दर्जा देने वाली धारा–370 समाप्त नहीं कर दी जाती।

विशेष शब्द–जम्मू कश्मीर, धारा–370, हिंसा, सैन्य बल, अनु–35**'A'**

प्रस्तावना :– वर्तमान समय में भारतीय संघ में 29 राज्य व 7 केन्द्रशासित प्रदेश हैं। भारतीय संघ में सम्मिलित प्रत्येक राज्य की अपनी पृथक, भाषा, वेशभूषा व संस्कृति है। वस्तुतः अनेकता में एकता हमारी स्वाभाविक विशेषता है। स्वतंत्रता के 71 वर्षों बाद जहॉ अन्य राज्यों ने विकास की गति प्राप्त कर राष्ट्र की उन्नति में योगदान किया है वहीं जम्मू कश्मीर में आए दिन होने वाली हिंसा, सैन्य बलों की तैनाती, सैनिकों पर पथराव सीमा पार से संचालित व समर्थित आतंकी गतिविधियों ने देशवासियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि क्यों धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में आतंक का साम्राज्य है। यह प्रश्न जनमानस को

बार–बार उद्धेलित करता है कि क्यों जम्मू–कश्मीर की प्रस्थिति अन्य राज्यों से भिन्न है, इस संबंध में ऐतिहासिक पुनरावलोकन आवश्यक होगा।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में 562 छोटी–बड़ी रियासतें थीं। अब उन्हें यह निर्णय लेना था कि वे भारत में सम्मिलित होना चाहती हैं अथवा पाक में। जम्मू कश्मीर इनमें से एक ऐसी ही रियासत थी। अन्य रियासतों की तुलना में इस रियासत की स्थिति इस अर्थ में भिन्न थी कि यहॉ के महाराजा हरि सिंह तो हिन्दू थे किन्तु 40 लाख की आबादी वाले इस राज्य में 2/3 मुस्लिम जनसंख्या थी। कश्मीर पर ब्रिटेन का आधिपत्य 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के लागू होते ही समाप्त हो गया था। इसके उपरान्त सैद्धान्तिक दृष्टि से कश्मीर रियासत के पास इस बात की पूर्ण स्वतंत्रता थी कि वह चाहे तो भारत अथवा पाक में से किसी में सम्मिलित हो सकता है जबकि कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने दोनो देशों में विलय की अपेक्षा इनसे यथावत समझौता किया। इस संबंध में जहॉ भारत का मानना था कि जम्मू कश्मीर के भविष्य के संबंध में किसी भी प्रकार को निर्णय का अधिकार जम्मू कश्मीर के महाराजा का है वहीं पाक का दृष्टिकोण यह था कि उक्त प्रसंग में जनमत संग्रह किया जाए। किन्तु अक्टूबर माह में पाकिस्तान सेना की सहायता से पठान कबायलियों ने सीमा पार से कश्मीर के प0 व उ0 पूर्वी क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से सैन्य सहायता मॉगी। स्थिति बिगड़ने पर 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर के भारत में विलय पर सहमति व्यक्त करते हुए भारत सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसे Instrument of Accession (Jammu & Kashmir) के नाम से जाना जाता है।

जम्मू कश्मीर पर पाक द्वारा समर्थित कबायलियों के आक्रमण के कारण शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर के भारत के विलय को स्वीकृति तो दे दी परन्तु वे व्यावहारिक तौर पर इसे स्वीकार न कर सके जिसकी परिणति धारा 370 के रूप में हुई। शेख एक–एक कर अपनी मॉगे बढ़ाते गए व पं0 नेहरू सभी पर सहमत होते गए जिसका परिणाम एक पृथक संविधान, स्वायत्तता व ध्वज के रूप में सामने आया। शेख जहॉ प्रत्येक शर्त पर पं0 नेहरू की सहमति प्राप्त करते रहे वहीं दूसरी ओर उन्होंने ब्रिटेन से गुप्त वार्ता जारी रखी। यह बात ज्ञात होने पर पं0 नेहरू ने उन्हें बर्खास्त कर नजरबंद कर दिया। नेशनल कान्फ्रेंस के विभाजन के बाद बख्शी गुलाम मोहम्मद मुख्यमंत्री बने। शेख की नजरबन्दी के उपरान्त उनके समर्थकों ने

भारत–विरोधी नीति अपनाई। यह प्रकरण तब तक चलता रहा जब तक कि भारत ने पूर्वी पाक अर्थात बांग्लादेश को मुक्त न करा दिया फलतः 1974 में तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए अपनी निर्बल स्थिति के कारण न चाहते हुए भी शेख अब्दुल्ला ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गॉधी से समझौता करने में ही भलाई समझी। इस समझौते के अनुसार कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया व शेख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने।

जम्मू कश्मीर को 1950 में भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में भाग (ख) राज्य में सम्मिलित किया गया है। इस राज्य को भाग (ख) के अन्तर्गत सम्मिलित किए जाने पर भी भाग (ख) के अन्तर्गत लागू प्रावधान इस राज्य पर लागू नहीं होते। यह एक विचित्र स्थिति इस कारण भी है क्योंकि जिन परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ था, भारत सरकार ने यह घोषणा की कि जम्मू कश्मीर राज्य की जनता अपनी संविधान सभा के माध्यम से कार्य करते हुए राज्य के संविधान का प्रारूप निश्चित करेगी। फलतः इस राज्य के विषय में संवैधानिक उपबंधों को लागू करना एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में था।

इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि इस समझौते से उत्पन्न विषयों पर मतभेद के कारण अभी तक अनु0–370 के अधीन कोई **नई राष्ट्रीय अधिसूचना** घोषित कर इस समझौते को लागू नहीं किया गया है। जम्मू कश्मीर राज्य और संघ के संबंध में सांविधानिक प्रावधानों का विवरण इस प्रकार है।

1– **संसद की अधिकारिता**– जम्मू कश्मीर के संबंध में संसद की अधिकारिता संघ सूची व समवर्ती, सूची में वर्णित विषयों तक ही सीमित होगी। जहॉ अन्य राज्यों के संबंध में विधि निर्माण की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है वहीं जम्मू–कश्मीर राज्य इसका अपवाद है। क्योंकि अवशिष्ट शक्तियों पर विधि–निर्माण का अधिकार राज्य विधानमण्डल को प्राप्त है। इसके अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे विषय है जिन्हें 1969 में निर्धारित किया था व जिनके संबंध में संसद के पास अपवर्जनकारी शक्ति है। अनु0–22(7) के अन्तर्गत जम्मू–कश्मीर में निवारक–निरोध विधि निर्माण का अधिकार भारतीय संसद के स्थान पर राज्य के विधानमण्डल को है अर्थात् संसद द्वारा निर्मित निवारक निरोध की विधि का विस्तार इस राज्य पर लागू नहीं होता।

संवैधानिक आदेश 1986 द्वारा अनु0–249 का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू कर दिया गया है जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय हित की दृष्टि से राज्य–सभा में प्रस्ताव पास कर संसद की अधिकारिता का विस्तार उस राज्य में किया जा सकता है।

2– जम्मू कश्मीर की स्थिति अन्य राज्यो से इस अर्थ में भी भिन्न है कि कुछ ऐसे विषय हैं जिनके संबंध में भारतीय संसद को जम्मू कश्मीर राज्य की विधानमण्डल की सहमति आवश्यक होती है।

इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर राज्य की स्वायत्ता की सुरक्षा के लिए संघ की कार्यपालिका शक्ति पर भी कतिपय प्रतिबंध लगाये गये हैं–

- जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार की सहमति के बिना भारत सरकार इस राज्य के व्यय को प्रभावित करने वाला निर्णय नहीं ले सकती।
- भारतीय संघ को यह अधिकार नही है कि वह अनु0 365 के अन्तर्गत वर्णित उपबंधों के अनुपालन में असफल होने पर राज्य के शासन को निलम्बित कर सके।
- संवैधानिक तंत्र के निलंबन से संबंधित अनु0 356–357 का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य पर संशोधन आदेश 1964 द्वारा किया गया है परन्तु यहॉ विफलता से आशय जम्मू कश्मीर के संविधान द्वारा स्थापित संवैधानिक तंत्र की विफलता से है। भारतीय संविधान के अधीन स्थापित तंत्र से नहीं।
- संघ को जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अनु0–360 के अधीन वित्तीय आपात की उद्घोषणा की शक्ति भी प्राप्त नही है।

3– **मूल अधिकार व निदेशक तत्व**– संविधान के भाग–4 के अंतर्गत वर्णित नीति निदेशक तत्व जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। नियोजन, संपत्ति के अर्जन व निवास के विशेष अधिकार राज्य के स्थायी निवासियों को ही प्रदान किए गए हैं। अनु019(1) (च) व 31(2) का लोप किया गया है। फलतः संपत्ति का अधिकार इस राज्य में राज्य द्वारा प्रत्याभूत अधिकार है।

4– **राज्य का पृथक संविधान**– भारतीय संविधान का भाग–6 जिसके अन्तर्गत सभी राज्यों के लिए एक संविधान की व्यवस्था की गयी है वहीं जम्मू कश्मीर राज्य का अपना एक पृथक संविधान है जो कि पृथक संविधान सभा द्वारा निर्मित था व 1957 में लागू किया गया।

5– संसद जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमण्डल की सहमति के बिना उस राज्य के क्षेत्र या सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती।

6– **राज्य के संविधान में संशोधन प्रकिया**– भारतीय संविधान के संशोधन हेतु संसदीय अधिनियम की अपेक्षा होती है वहीं जम्मू कश्मीर राज्य के उपबंध उस राज्य की विधानसभा द्वारा अपनी शक्ति के 2/3 बहुमत से पारित अधिनियम द्वारा संशोधित किये जा सकते हैं किन्तु यदि ऐसे संशोधन से राज्यपाल या निर्वाचन आयुक्त की शक्तियों पर कोई प्रतिकूल

प्रभाव पड़ता है तो यह तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक कि वह राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित न किया जाए व राष्ट्रपति उसे अपनी प्रदान न कर दे।

यहॉ यह तथ्य विचारणीय है कि भारतीय संविधान का संशोधन जम्मू कश्मीर राज्य पर तभी विस्तारित होता है जब वह अनु0–370(1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति आदेश द्वारा विस्तारित किया जाए।

7– **अन्य अधिकारिताएँ–** संवैधानिक प्रावधानों का संशोधन करके CAG, निर्वाचन आयोग व उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति की अधिकारिता का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य पर किया गया है।

अनु0 370 के विवेचन के उपरान्त यहॉ पर धारा 35**A** की चर्चा आवश्यक हो जाती है क्योंकि यह भी एक विवादास्पद धारा है। 14 मई 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद द्वारा एक आदेश पारित कर भारतीय संविधान में एक नया अनु0–35 'A' जोड़ा गया परन्तु इसे संविधान के मूल भाग में नहीं वरन् परिशिष्ट में सम्मिलित किया गया है। 35'A' धारा 370 का ही एक भाग है जिसके कारण किसी अन्य राज्य का निवासी जम्मू कश्मीर में न तो कोई संपत्ति खरीद सकता है और न ही वहॉ का स्थायी नागरिक बनकर रह सकता है। जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान के अनुसार स्थायी नागरिक वह व्यक्ति हैं जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा है अथवा फिर उससे पहले के 10 वर्षों से राज्य में रह रहा है और उसने यहॉ संपत्ति प्राप्त कर ली है। अनुच्छेद–35'A' के अन्तर्गत यह प्रावधान भी है कि यदि जम्मू कश्मीर की कोई महिला किसी गैर कश्मीरी पुरूष से विवाह करती है तो उसके सभी पैतृक अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

कश्मीर समस्या व धारा 370 का संबंध– स्थिति का विश्लेषण करने पर यह ज्ञात होगा कि कश्मीर समस्या व धारा–370 कहीं न कहीं एक दूसरे से संबंधित है। जिसका पूरा श्रेय पं0 नेहरू को जाता है। यहॉ पर यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो चुका था, यहीं नहीं भारत–पाक युद्ध (1948) में भारत ने पाक को परास्त कर दिया था तो अनु0–370 को भारतीय संविधान में सम्मिलित करने की क्या आवश्यकता थी ? अनु0–370 को तो स्वयं डॉ0 भीम राव अम्बेडकर ने 'राष्ट्र के साथ द्रोह' की संज्ञा देते हुए संविधान में शामिल करने से मना कर दिया था ठीक इसी प्रकार से सरदार पटेल को

अनु0–370 पर विवश कर, अनु0–35'A' को 1954 में शेख अब्दुल्ला की नजरबंदी के दौरान संसद की नजरें बचाते हुए बड़े ही गोपनीय तरीके से संविधान में सम्मिलित किया गया। प्रश्न यह उठता है कि देश में एक पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व्यवस्था के निर्माण का प्रण लेने वाले पं0 नेहरू जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के संबंध में स्वतंत्र नीति का अनुकरण क्यों न कर सके।

जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन ने अपनी पुस्तक My Frozen Terbulance in Kashmir नामक पुस्तक में लिखा है कि ''हमने द्विराष्ट्र सिद्धान्त को नकारा, दुनिया में यह उद्घोष किया कि भारत में धर्म कभी विभाजन का आधार नहीं बन सकता, विडम्बना यह है कि हम कश्मीर में द्विराष्ट्र सिद्धान्त का प्रयोग कर रहे हैं और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण व आत्मघाती ढंग से कर रहे हैं। कश्मीर में धारा 370 व स्वायत्ता का मुद्दा इस तरह से घालमेल कर बजाया गया है कि भारतीय धन से ही एक शेखशाही या सल्तनत या छोटा पाकिस्तान एवं पोषित किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के संबंध में जगमोहन द्वारा की गई टिप्पणी उचित ही सिद्ध होती है।

भारत–पाक विभाजन से पूर्व पाक के अधिकार क्षेत्र में भारतीय धर्मावलम्बियों की संख्या–20 प्रतिशत थी कि वर्तमान समय में वहॉ 20 प्रतिशत से कम हिन्दू हैं, जिस कश्मीर में कभी शैव मत पुष्पित रहा वहॉ आज पाकिस्तानी या आई0एस0आई0एस0 का झण्डा लहराया जाता है, देश विरोधी नारे जगाये जाते हैं, भारतीय सैनिकों पर पत्थरबाजी की जाती है।अलगाववादी व तथाकथित सेक्युलरिस्ट कश्मीरियत की बात करते हैं। अनु0–370 ने सदैव के लिए यह सुनिश्चित कर दिया कि कश्मीर मुस्लिम बहुल रहेगा। पं0 नेहरू की नीतियों ने कश्मीर में मुस्लिम उपराष्ट्रवाद के उद्भव में भी सहायता दी। तदोपरान्त शेख अब्दुल्ला सरकार ने मनमाने तरीके से जम्मू कश्मीर घाटी व लद्दाख के मध्य विधानसभा सीटों का इस प्रकार से विभाजन किया कि इस राज्य की राजनीति पर सदैव कश्मीर के मुस्लिम राजनेताओं का वर्चस्व रहे। पं0 नेहरू के इसी ढुलमुल रवैये के कारण शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर के भीतर एक अलग ही पाकिस्तान का निर्माण कर दिया जिसमें 95 प्रतिशत बहुसंख्यक मुसलमानों को बहुसंख्यक व 5 प्रतिशत हिन्दू समुदाय को सा0 उत्पीड़न के साथ–साथ शिक्षा, नौकरी व व्यवसाय में विभेद का सामना करना पड़ा। इस बहुसंख्यक समुदाय को घाटी से पलायन करना पड़ा। आज इसी कश्मीर में कश्मीर की मूल संस्कृति के

अनुयायी कश्मीरी पंडितों के लिए कोई स्थान नहीं है। आज वे देश के विभिन्न भागो में विस्थापितों के रूप में नारकीय जीवन जीने की बाध्य हैं। उनकी संपत्ति पर जेहादियों का कब्जा है। यह स्वयं में विचारणीय प्रश्न है कि इस देश के तथाकथित धर्मनिरपेक्ष बुद्धिजीवियों द्वारा बराबर फिलिस्तीनी विस्थापितों के अधिकारों की रक्षा के लिए बराबर समर्थन व आन्दोलन किया जाता है जबकि कश्मीरी पंडितों के संबंध में मौन धारण कर लिया जाता है। यह स्वयं में विडम्बना है कि अलगाववादी नेता पूरे देश में कहीं भी भूमि व सम्पत्ति खरीद सकते हैं परन्तु कश्मीर में अन्य राज्यों के नागरिकों को भूमि अर्जन का अधिकार दिये जाने का विरोध करते हैं।

राम मनोहर लोहिया ने हमारे राजनेताओं व बुद्धिजीवियों की इसी प्रवृत्ति पर कहा था कि ''**आत्म संमर्पण को सामंजस्य समझना औसत दर्जे की मूर्खता व निर्लज्जता है। कश्मीर में दो दशकों से चल रही जोर–जबरदस्ती भारत के विरूद्ध युद्ध है। यह युद्ध बाहरी आक्रमणकारी कुछ भीतरी शक्तियों के सहयोग से चला रहे हैं। इसमें बाहरी व भीतरी का भेद करना परम मूर्ख बनना है**।''

कश्मीर समस्या व चीन– भारत पाक विभाजन के बाद से ही कश्मीर मुद्दे पर चीन की भूमिका सदैव से ही संदिग्ध रही है। कश्मीर मसले पर वह परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सदैव न केवल पाक का समर्थन करता रहा है अपितु उसे सामरिक सहायता भी प्रदान करता रहा है। जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए नत्थी वीजा की नीति यह दर्शाती है कि वह कश्मीर को भारत का अविभाज्य अंग नही मानता। 1959 में भारतीय सैन्य बलों को उ0 कश्मीर के अक्साई–चीन में चीन द्वारा सड़क निर्माण की घटना को कश्मीर में चीन के हस्तक्षेप के रूप में देखा। चीन ने 1962 में कश्मीर में सैन्य घुसपैठ कर इस क्षेत्र में कराकोरम तक अधिकार कर लिया।

वहीं पाक कश्मीर को विवादित क्षेत्र मानता है। उसके अनुसार कश्मीर विवाद पर किसी प्रकार की वार्ता के 3 पक्ष हैं– भारत, पाक व कश्मीर। कश्मीर में व्याप्त हिंसा को वह स्वतंत्रता के संघर्ष की संज्ञा देता है। पाक ने द्विपक्षीय वार्ता के स्थान पर सदैव से ही कश्मीर मुददे को अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर उछाला है। अन्तर्राष्ट्रीय दबावों के कारण उसने अनेक बार यह घोषणा की है कि वह अपनी भूमि का उपयोग आतंकवाद के प्रसार के लिए नहीं होने देगा।

दिलीप पंडगॉवकर समिति– 13 अक्टूबर 2010 को संप्रग सरकार द्वारा वरिष्ठ पत्रकार दिलीप पंडगॉवकर की अध्यक्षता में कश्मीर समस्या के समाधान के लिए एक 3 सदस्यीय दल का गठन किया गया जिनमें पंडगॉवकर के अतिरिक्त पूर्व सूचना आयुक्त एम0एम0 अंसारी व जामिया मिलिया इस्लामियां विश्वविद्यालय के नेल्सन मंडेला Centre for Peace and Conflict Resolution की निदेशक प्रो0 राधा कुमार थी। इस दल में किसी रा0दल को सम्मिलित नहीं किया गया है। इस दल का कार्य राज्य के तीनों क्षेत्रों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य धारा के राजनेताओं के साथ–साथ अलगाववादियों व सभी वर्ग के लोगों के साथ परस्पर वार्ता की जिम्मेदारी दी गई। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में राज्यपाल को विधानसभा द्वारा नामित किए जाने के साथ–साथ 1952 के बाद निर्मित विधि को जम्मू कश्मीर में लागू किये जाने की सिफारिश की। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में सेना की उपस्थिति कम किये जाने, अफ्स्फा के पुनरावलोकन, वार डिस्टर्ड एक्ट एरिया को हटाने की बात कही। इस समिति ने केन्द्र व हुर्रियत के मध्य संवाद पर बल दिया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पाक व पाक अधिकृत कश्मीर को वार्ता के लिए सहमत किया जाए। मानवाधिकार व कानून के शासन संबंधी गतिविधियों में सुधार लाये। प्रचार माध्यमों, पत्रकारों व सूचना अधिकार कार्यकर्ताओं, नागरिक अधिकारों के लिए संघर्षरत लोगों पर बढ़ते दबाव से मुक्ति के साथ समिति नने अनु0 370 को बनाए रखने का समर्थन किया। जिसकी विपक्षी दलों विशेषकर भाजपा द्वारा कड़ी आलोचना की गई।

धारा–370 को समाप्त करने की शक्ति–

अनु0–370 के खण्ड (3) में यह प्रावधान है कि ''इस अनु0 के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति लोक अधिसूचना जारी कर इसे समाप्त कर सकता है अथवा ऐसे अपवादों व उपांतरणों सहित ही वहॉ जैसा निश्चित करे प्रवर्तन में रहेगा, परन्तु राष्ट्रपति द्वारा ऐसी अधिसूचना जारी किये जाने से पूर्व खण्ड (2) में विर्निदिष्ट उस राज्य की संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक होगी परन्तु अब राज्य की संविधान सभा ही अस्तित्व में नही है अतः जो व्यवस्था अस्तित्व में नही है वह कारगर कैसे हो सकती है।

इसके अतिरिक्त कश्मीर समस्या के संदर्भ में निम्नांकित सुझाव दिए जा सकते हैं :–

(a) सर्वप्रथम जम्मू कश्मीर राज्य में जनसंख्या के असंतुलन को दूर किया जाए, साथ ही जम्मू व लद्दाख को रा0 व आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर घाटी के नेताओं व अलगाववादियों के प्रभाव में कटौती की जाए।

(b) विधानसभा सीटों का नए सिरे से परिसीमन कर जनसंख्या, सीटों पर मतदाताओं की औसत संख्या व क्षेत्रफल के अनुसार जम्मू के हिस्से में अधिक विधानसभा सीटें आवंटित की जाएँ।

(c) इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि जम्मू क्षेत्र को अन्य राज्यों के शहरों की भांति औद्योगिक जोन के रूप में विकसित किया जाए।

निष्कर्ष :– हम यह कह सकते हैं कि अनु0–370 देश व राज्य के शेष भाग के मध्य एक मानसिक बाधा है। अतः अब समय आ गया है कि सरकार इस दिशा में सार्थक कदम उठाए क्योंकि कश्मीर समस्या का निराकरण धारा 370 की समाप्ति से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। धारा–370 के हटाये जाने पर जम्मू कश्मीर की स्थिति अन्य राज्यों के समान हो जायेगी व संविधान के भाग–6 के सभी उपबन्ध उस पर समान रूप से लागू होंगे। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह कहा है कि धारा–370 अपरिवर्तनीय नही है। एक देश में एक संविधान के अन्तर्गत सम्मिलित राज्यों में किसी राज्य को विशेष प्रास्थिति प्रदान किया जाना सर्वथा अनुचित है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1– ग्रोवर, बी0एल0, यशपाल :– आधुनिक भारत का इतिहास, एक नवीन मूल्यांकन (1707 ई0 से वर्तमान समय तक) SCHAND & COMPANYLTD. 7361 RAM NAGAR, NEW DELHI-110055

2– कपूर एस0के0 :– अन्तर्राष्ट्रीय विधि, Central Law Agency 30 D/1, मोतीलाल नेहरू रोड, इलाहाबाद–2

3– फड़िया बी0एल0 :– अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।

4– बासु दुर्गादास :– भारतीय संविधान का परिचय, Lexix Nexix

5– खन्ना डा0 वी0एन0 :– अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, साहित्य भवन पब्लिसर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स लि0, 34 लाजपत कुंज, आगरा–282002

6– दैनिक समाचार पत्र :– दैनिक जागरण, पृष्ठ–8, 12 जून 2017

————